अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है । वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:–

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2002-2003	संशोधित अनुमान 2002-2003	बजट अनुमान 2003-2004
क. ऋण*	11333.82	11713.21	13202.40
ख. नकद अनुदान	824.36	934.32	1373.14
ग. वस्तु अनुदान सहायता	34.73	47.43	87.89
(i) खाद्य	...	...	...
(ii) अन्य	34.73	47.43	87.89
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**12192.91**	**12694.96**	**14663.43**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	10563.46	25209.50	9620.78
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर)	1629.45	(-)12514.54	5042.65
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	4319.79	4511.43	3288.15
ज. ऋण को घटाने हेतु प्रीमियम की वापसी अदायगी	...	330.90	...
जोड़ (छ+ज)	*4319.79*	*4842.33*	*3288.15*
झ. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर)	(-)2690.34	(-)17356.87	1754.50
** इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।*	150.00	400.00	300.00

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई हैं तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है।

I. आस्ट्रेलिया

(i) **अनुदान सहायता***

सं.अ. 2002-03	**ब.अ. 2003-04**
35 करोड़ रुपए	42 करोड़ रुपए

आस्ट्रेलिया से सहायता प्राप्त करने वाली मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं (?) यूनीसेफ के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा संवृद्धि परियोजना (चरण-II), (??) गंगटोक और शिलांग शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम, (???) एच आई वी/एड्स निरोधक और निगरानी परियोजना, (?=) भारत आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना (चरण-II)। अनुदान प्राप्त परियोजनाएं सामान्यतया सीधे दाता एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और सहायता भारत सरकार के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती है।

II. बेल्जियम

बेल्जियम वर्ष 1962-63 से वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। तथापि, पिछले वर्षों से सहायता की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो गई है। 250 मिलियन बेल्जियाई फ्रांक के लिए बेल्जियाई सरकार के साथ बीसवीं सरकार से सरकार के ऋण करार पर दिनांक 30.3.1993 को हस्ताक्षर किए गए।

III. कनाडा

कनाडा भारत को वर्ष 1951 से सहायता प्रदान कर रहा है। कनाडियन विकास सहायता कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सिडा) के माध्यम से दी जाती है। 31 मार्च 1986 तक कनाडियन सहायता ऋण और अनुदान के रूप में थी। 1 अप्रैल, 1986 से सिडा सहायता पूर्णतया अनुदान के रूप में है।

2. "सिडा" द्वारा सहायता प्राप्त महत्वपूर्ण चालू परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:-

वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना, भारत कनाडा पर्यावरण सुविधा परियोजना, राजस्व प्रशासन क्षमता विकास परियोजना, ऊर्जा आधारभूत सेवा परियोजना, उद्योग सम्पर्क परियोजना एचआईवी/एड्स रोकथाम व नियंत्रण परियोजना और पर्यावरण संस्थान सुदृढीकरण परियोजना। इन परियोजनाओं में तकनीकी सहायता शामिल है और निधियां बजट के जरिए नहीं दी जाती हैं।

IV. डेनमार्क

डेनिश सहायता मुख्य रूप से विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित और स्थानीय लागत परियोजनाओं के लिए भी उपलब्ध अनुदानों के रूप में है। इस समय, चालू परियोजनाएं जो मुख्यतः गरीबी उन्मूलन के लिए हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है। तकनीकी सहायता भी अनुदानों के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडी) भी डेनिश और भारतीय व्यापार उद्यमों के बीच दीर्घावधिक सहयोग का समर्थन करने के लिए प्रचालनाधीन है।

2. भारत वर्ष 1963 से डेनिश सहायता प्राप्त करता रहा है। दिनांक 31.12.2001 तक डेनमार्क ने कुल 5273.14 मिलियन डेनिश क्रोनर की राशि देने का वचन दिया है जिसमें ऋण और अनुदान शामिल हैं।

3. वर्ष 2002-03 (दिनांक 1.4.2002 से 31.12.2002 तक) के दौरान डेनमार्क के साथ कृषि में म.प्र. महिला (एमएपीडब्ल्यूए) चरण II नामक एक नया करार दिनांक 2.4.2002 को हस्ताक्षरित किया गया है जिसके लिए डेनमार्क ने 17.49 मिलियन डेनिश क्रोनर (8.74 करोड़ रुपए) का अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी है। वर्ष 2002-2003 के लिए 35 करोड़ रुपए के अनुमानित प्राप्ति की एवज में 30 नवम्बर 2002 तक डेनमार्क सरकार से वचनबद्ध सहायता में से संवितरण के जरिए भारत सरकार के खाते में कुल 38.098 करोड़ रुपए की रकम प्राप्त की गई है।

V. जर्मन संघीय गणराज्य

जर्मनी विश्व में भारत का एक सबसे बड़ा दाता है। जर्मनी भारत को वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जर्मनी ने वर्ष 2002 के दौरान नई वचनबद्धताओं के जरिए और पूर्व-वचनबद्धताओं की पुनः योजना करके वित्तीय सहायता के तौर पर 260.30 मिलियन यूरो (33.8 मिलियन यूरो अनुदान के रूप में, 74.0 मिलियन यूरो सुलभ ऋण और 152.50 मिलियन यूरो वाणिज्यिक ऋण के रूप में) तथा तकनीकी सहायता के तौर पर 16.3 मिलियन यूरो (अनुदान) राशि की वचनबद्धता की है।

2. जनवरी से दिसम्बर, 2002 के दौरान 54.61 मिलियन यूरो के लिए करार हस्ताक्षरित किए गए जिसमें 39.33 मिलियन यूरो अनुदान के रूप में और 15.34 मिलियन यूरो वित्तीय सहायता प्राप्त ऋण के रूप में हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान (नवम्बर, 2002 तक) संवितरण की कुल राशि 49.50 मिलियम यूरो (तकनीकी सहायता को छोड़कर) है। संवितरण की राशि में स्वतंत्र परियोजनाएं शामिल हैं अर्थात् सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठानों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं।

VI. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को वर्ष 1968 से आर्थिक सहायता दे रही है। फ्रांसीसी सहायता फ्रांसीसी सामान एवं सेवाओं के आयात के लिए है। अनुदान सहायता कुछेक कम मूल्य वाली तकनीकी सहयोग परियोजनाओं के लिए सीमित है। फ्रांसीसी सहायता मुख्यतः उदार शर्तों पर राजकोषीय ऋण सहित मिश्रित ऋण और निर्यात ऋण के रूप में ओ.ई.सी.डी की ब्याज की रियायती दरों पर है। मिश्रित ऋण के रूप में फ्रांसीसी सहायता का उपयोग विद्युत,कोयला, रेलवे, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और खनन, कृषि, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि के लिए किया गया है।

2. अप्रैल, 1968 से मार्च 2001 तक कुल वचनबद्ध फ्रांसीसी सहायता 15443.86 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक बैठती है। वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान 7.004 मिलियन यूरो (32.80 करोड़ रुपए) राशि नवम्बर, 2002 तक संवितरित की गयी।

VII. इटली

इटली से प्राप्त सहायता विशेष योजनाओं के लिए है तथा यह सामान्यतः इतालवी वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण से संबद्ध है।

2. जून, 1996 की भारत-इतावली सहयोग बैठक के दौरान, इतावली पक्ष ने 100 बिलियन लीरा की समग्र राशि के एक उदार शर्त वाले ऋण की वचनबद्धता की है जिसमें से 50 बिलियन लीरा पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्तियों को वित्तपोषित करने के लिए एक खुली ऋण श्रृंखला स्थापित करने तथा भारतीय छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सम्बन्धित तकनीकी सहायता स्थापित करने के प्रति समर्पित होंगे। दिनांक 21.3.2000 को इस ऋण श्रृंखला के लिए एन एस आई सी द्वारा 10 बिलियन लीरा की पहली किश्त के लिए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऋण श्रृंखला दिनांक 17.7.2000 से प्रचालन में है और दिनांक 18.11.2002 तक वैध थी। 50 बिलियन इतालवी लीरा की शेष राशि जलापूर्ति और पश्चिम बंगाल में ठोस अपशिष्ट प्रबंध परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए प्रयोग की जाएगी।

VIII. जापान

1. जापान से नीचे दर्शाए गए स्तर की सरकारी विकास सहायता (ओ डी ए) प्राप्त होने की आशा है।

(i) ऋण

सं.अ. 2002-03	**ब.अ. 2003-04**
3122 करोड़ रुपए	4136 करोड़ रुपए

इनके लिए नए ऋण अपेक्षित हैं। (?) बक्रेश्वर तापीय विद्युत केन्द्र एकक विस्तार परियोजना, (??) राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, (???) यमुना कार्य योजना परियोजना (II), (?=) अजंता-एलोरा परिरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना (II), और (=) सिंहाद्री तापीय विद्युत केन्द्र परियोजना (IV), (=?) दिल्ली जन त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना (IV), (=??) पंजाब वनरोपण परियोजना (II) (चालू परियोजनाओं के लिए किश्तों में ऋण)। इसके अलावा जापान से ओडीए ऋण सहायता से 33 चालू परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

(ii) सामान्य अनुदान*

सं. अ. 2002-03	**ब.अ. 2003-04**
शून्य	60 करोड़ रुपए

2. ऋण राहत अनुदान सहायता

15 करोड़ रुपए	15 करोड़ रुपए

IX. अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि

अरब आर्थिक विकास कुवैत निधि से भारत को वर्ष 1976 से आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक निधि से कुल 92.300 मिलियन कुवैती दीनार के कुल मूल्य के आठ ऋण प्राप्त हुए हैं। 31 मार्च 2000 तक ऋणों का कुल उपयोग 82.353 मिलियन कुवैती दीनार है। इस समय कुवैत निधि सहायता से कोई परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है।

X. नीदरलैंड

नीदरलैंड भारत को वर्ष 1962-63 से ही सामान्य प्रयोजन ऋण, ऋण राहत सहायता, आपूर्तिकर्ता ऋण (वित्तीय निर्यात ऋण) तथा अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह अनुदान स्थानीय लागत व्यय तथा तकनीकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता है।

2. नीदरलैंड सहायता अब पर्यावरण, पेय जलापूर्ति, सिंचाई और जल परिवहन और कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए प्राप्त की जा रही है। वर्ष 1992 से अब तक, नीदरलैंड सहायता पूरी तरह से अनुदानों के रूप में है तथा पूर्ववर्ती ऋण वचनबद्धता के एवज में शेष अनुदान निधियों से संवितरित की गई है। वर्ष 2002-03 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान यह संवितरण 16.052 मिलियन यूरो (75.32 करोड़ रुपए के समकक्ष) रहा।

3. नीदरलैण्ड सरकार ने, गुजरात के भूकम्प पीड़ित जिलों के प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 94.426 मिलियन एन एल जी (173.69 करोड़ रुपए के बराबर) की राशि प्रदान की है। उन्होंने वर्ष 2002-03 की अवधि के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 92.496 मिलियन यूरो राशि की भी वचनबद्धता की है। (क) ग्रीन हैदराबाद एनवायरमेंट प्रोग्राम 2002-06, (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई को अठारह बैंकनोट श्रेडिंग व ब्रिकेटिंग सिस्टमों की आपूर्ति, (ग) गुजरात के भूकम्प प्रभावित गांवों में जल और स्वच्छता कार्यक्रम के लिए समुदाय प्रबंधित विकास, (घ) समुदाय प्रबंधित घोघा आर डब्ल्यू एस एस-संशोधित चरण, (ङ) डब्ल्यू ए एस एम ओ, गुजरात को संस्थागत सहायता।

4. नीदरलैंड सरकार ने प्रत्येक परियोजना के कुल लागत के 40 प्रतिशत तक नीदरलैंड से चुनिन्दा पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने हेतु लागत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार को ओ आर ई टी अनुदान भी उपलब्ध कराए हैं।

XI. नार्वे

भारत में नार्वेजियाई विकास सहायता कार्यक्रम वर्ष 1952 में केरल में मात्स्यिकी विकास परियोजना को सहायता के साथ तकनीकी सहायता और वित्तीय समर्थन के रूप में शुरू हुआ। नार्वेजियाई सरकार द्वारा दी गई सहायता नार्वेजियाई विकास सहयोग एजेंसी (नोराड) के माध्यम से है। वर्ष 2002-03 के दौरान संवितरित की गई नार्वेजियाई सहायता 9.50 मिलियन नार्वेजियाई क्रोन रही है (1 नार्वेजियाई क्रोन = जनवरी 2003 की स्थिति के अनुसार 50 रुपए)।

XII. अरब आर्थिक विकास के लिए अबूधाबी निधि

गढ़वाल, ऋषिकेश चिल्ला पन-बिजली परियोजना, उत्तरांचल के लिए अबूधाबी निधि से 68 मिलियन दीनार (15 मिलियन अमरीकी डालर) का ऋण प्रदान किया गया है। ऋण की सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया था। इस ऋण पर 3.5 प्रतिशत की ब्याज दर और 0.5 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगेगा। इसकी वापसी-अदायगी अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 15 वर्ष थी।

XIII. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की निधि (ओपेक)

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ओपेक निधि की स्थापना तेल निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्यो में आर्थिक सहायता प्रदान करके ओपेक सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। ओपेक निधि ने अब तक कुल मिलाकर 218.800 मिलियन अमरीकी डालर के चौदह ऋण दिए है। 31 मा र्च, 2002 तक ऋणों का कुल उपयोग 769.200 मिलियन अमरीकी डालर है।

XIV. सऊदी विकास निधि

विकासशील देशों में विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सऊदी विकास निधि की स्थापना की गई थी जो स्वायत्तता प्राप्त कानूनी संस्था है; जिसने अब तक 769.200 मिलियन सऊदी रियाल की कुल राशि के चार ऋण दिए हैं।

XV. स्वीडन

भारत वर्ष 1964 से स्वीडिश सहायता प्राप्त करता रहा है हालांकि स्वीडन भारत सहायता संघ का पूर्ण रूप में सदस्य वर्ष 1969 में ही बना। स्वीडिश सहायता स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सिडा) के माध्यम से आती है। स्वीडिश सहायता की शर्ते कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर उदार हुई हैं। अनुदान सहायता के अलावा, स्वीडिश सरकार ने बड़ी विद्युत परियोजनाओं को आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया है। वर्ष 1976 के बाद स्वीडिश सहायता अनुदान के रूप में है।

सीडा ने सूचित किया है कि स्वीडन सरकार ने भारत के साथ स्वीडन के विकास सहयोग के लिए नई मार्गदर्शिकाएं प्राप्त करने का निर्णय किया है। प्रतिवर्ष 75-100 मिलि. सेक के (1 सेक = जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार 5.42 रु.) की कुल सहायता की संकल्पना की गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान एक नई कार्य-नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले दो वर्षों से भारत सरकार के बजट के माध्यम से कोई संवितरण नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी चालू स्वीडिश सहायता प्राप्त परियोजना के पास बजट के माध्यम से आई निधि नहीं है। इसने वर्ष 2002-2003 के दौरान संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और एन जी ओ को प्रदान की गई तकनीकी सहायता के रूप में लगभग 23 मिलियन सेक का संवितरण किया है।

XVI. स्विटजरलैण्ड

स्विटजरलैण्ड सरकार भारत को 1964 से सहायता प्रदान करती रही है। वर्तमान में, स्विस सहायता स्थानीय लागत/तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध है। यह सहायता अनुदानों के जरिए वित्तपोषित की जाती है जो स्विस विकास सहयोग अभिकरण (एस डी सी) के माध्यम से सरणीकृत की जाती है।

वर्ष 2002-03 के दौरान निम्नलिखित इंडो-स्विस द्विपक्षीय करारों का निष्पादन किया गया है:

क्रम सं. वर्ष	परियोजना का नाम	को हस्ताक्षरित	स्थानीय अनुदान/ तकनीकी सहायता	राशि
1	2	3	4	5
2002-03	आईएसपी-सिक्किम हाइडकोर*	02.07.2002 12.12.2002	टी.सी टी.सी	4.32 करोड़ रु. 3'393'000 सी एच एफ

**पारिस्थितिकीय प्रशीतन में मानव और संस्थागत विकास*

XVII. यूनाइटेड किंगडम

भारत ब्रिटिश विकास सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। द्विपक्षीय सहायता 1975 से अनुदानों के रूप में आती है। यू.के. की सहायता एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग है जो विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफ.सी.ओ.) का एक भाग है और जिसकी अध्यक्षता विदेश विभाग के मंत्री द्वारा की जाती है।

2. यू. के. से सहायता विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, स्लम सुधार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कोयला, ऊर्जा क्षमता (विद्युत) और वानिकी, में पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के लिए होती है।सहायता इन रूपों में आती है। (क) **स्थानीय लागत अनुदान**:– जो कि इस समय मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण सुधार संबंधी कार्यक्रमों के लिए दी जाती है। (ख) **तकनीकी सहायता अनुदान**:– परियोजना संबंधी और सामान्य परामर्शी सेवाओं, प्रशिक्षण और उपस्करों के आयात के लिए प्रदान किए जाते हैं।

3. इस समय केन्द्र और राज्य क्षेत्रों में डी एफ आई डी सहायता से कार्यान्वयन के अधीन 28 स्थानीय लागत परियोजनाएं और 8 तकनीकी सहायता परियोजनाएं हैं। मार्च-दिसम्बर 2002 की अवधि के दौरान, 76.77 मिलियन पौंड के कुल अनुदान से चार नई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए।

XVIII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य द्वारा यू एस ए आई डी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

2. उपर्युक्त कुल सहायता में अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2002 के लिए प्राधिकृत 14.072 मिलियन अमरीकी डालर की यू.एस., ए.आई.डी. की विकास सहायता भी शामिल है, जो 30 सितम्बर 2001 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें निम्नलिखित 6 (छः) संशोधनात्मक करार शामिल हैं अर्थात्:-

क्रम सं.	परियोजना	अनुदान राशि अमरीकी डालर	संशोधित करार की तारीख
1.	वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (पैक्ट)	1,572,000	24.5.2002
2.	ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण रोकथाम परियोजना	4,000,000	10.9.2002
3.	तकनीकी सहायता और समर्थन परियोजना (टीएएसपी)	2,000,000	8.7.2002
4.	एवर्ट परियोजना	1,000,000	4.9.2002
5.	एड्स रोकथाम और नियंत्रण परियोजना (एपीएसी)	2,000,000	29.8.2002
6.	आईएफपीएस	3,500,000	17.9.2002
	जोड़	**14,072,000**	

पी.एल.480 शीर्षक II कार्यक्रम के अधीन, 96.859 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग) की वस्तु सहायता (मालभाड़े सहित) अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2002 (अक्तूबर 2001-सितम्बर 2002) के दौरान यूएसएआईडी द्वारा संवितरित की गई है।

XIX. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आई बी आर डी)

दिनांक 30.6.2002 तक ऋणों के जरिए आई बी आर डी द्वारा दिया गया संचयी उधार 29690 मिलियन अमरीकी डालर हैं। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजमार्ग, आर्थिक पुनर्संरचना, विद्युत, कृषि, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, जल आपूर्ति, रेलवे में परियोजनाओं के संबंध में है।

2. वर्ष 2002 के दौरान (31 दिसम्बर, 2002 तक) 1381 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	अनुमोदन की तारीख
1.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम परियोजना-2	50.00	14.03.2002
2.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	255.00	14.03.2002
3.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम परियोजना	125.00	14.03.2002
4.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	463.00	18.06.2002
5.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	488.00	19.12.2002
	जोड़	**1381.00**	

3. आईबीआरडी के ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। ब्याज की वर्तमान दर परिवर्तनीय एकल मुद्रा ऋणों पर बातचीत के वर्ष पर निर्भर करते हुए 1.60 प्रतिशत से 1.90 प्रतिशत के बीच है। असंवितरित बकाया पर वचनबद्धता शुल्क इस समय 0.75 प्रतिशत है। 0.50 प्रतिशत का बिना शर्त वचनबद्धता शुल्क अधित्याग वार्षिक आधार पर सभी ऋणकर्ताओं को उपलब्ध है। ऋण राशि के 1 प्रतिशत का एक अप फ्रंट शुल्क भी देय है। इस समय समय पर भुगतान करने पर ऋणकर्ताओं को 0.25 प्रतिशत के ब्याज अधिभार का प्रस्ताव किया गया है।

XX. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

बैंक का सुलभ ऋण सहयोगी, आई डी ए अपने वित्तीय संसाधनों और पूर्व ऋणों से वापसी अदायगियों के लिए मुख्य रूप से अधिक धनी देशों द्वारा समय-समय पर किए गए अंशदानों पर निर्भर करता है।

2. आई डी ए बचनबद्धताएं, जिन्हें "ऋणों" के रूप में जाना जाता है, में 10 वर्ष की छूट की अवधि होती है और इसकी वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी होती है। भारत को 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आई डी ए ऋणों में कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। असंवितरित शेषों पर वचनबद्धता प्रभार 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम तक प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। तथापि 1989-90 से वचनबद्धता प्रभार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं।

3. भारत को आई डी ए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। 30.6.2002 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, जल आपूर्ति और सफाई, गरीबी उन्मूलन, कृषि, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, जल संभर विकास, वानिकी, पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आई डी ए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 28,844.60 मिलियन अमरीकी डालर है।

4. वर्ष 2002 के दौरान (31.12.2002 तक) 1514.9 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	अनुमोदन की तारीख
1.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	140.00	19.02.2002
2.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	149.20	19.02.2002
3.	कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम परियोजना-2	50.00	14.03.2002
4.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	60.00	14.03.2002
5.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम परियोजना	125.00	14.03.2002
6.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	98.90	25.04.2002
7.	गुजरात भूकंप आपात पुनर्संरचना कार्यक्रम परियोजना	442.80	02.05.2002
8.	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	79.00	18.06.2002
9.	आंध्र प्रदेश समुदाय वानिकी प्रबंधन परियोजना	108.00	18.07.2002
10.	प्रजननात्मक स्वास्थ्य (पूरक)	12.00	05.09.2002
11.	इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा स्तर सुधार कार्यक्रम परियोजना	250.00	14.11.2002
	जोड़	**1514.90**	

XXI. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) एक प्रमुख क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है और जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत का एशियाई विकास बैंक के पूंजी भंडार में, सभी सदस्य देशों में से जापान, संयुक्त राज्य अमरीका और चीन जनवादी गणराज्य के बाद चौथा सर्वाधिक अभिदान रहा है।

2. वर्ष 1966 में इस की स्थापना होने से लेकर, भारत ने स्वेच्छापूर्वक, एशियाई विकास बैंक से ऋृण नहीं लिया था। तथापि उन स्रोतों में, जिनसे हम विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, विविधता लाने के बारे में विचार किया गया और भारत ने एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1986 से ऋण लेना प्रारम्भ किया। 31.12.2002 तक एशियाई विकास बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के ऋणों के लिए अनुमोदित ऋणों का कुल मूल्य 11.66 बिलियन अमरीकी डालर* था। एशियाई विकास बैंक द्वारा जिन क्षेत्रों के लिए ऋणों को बढ़ा दिया था, वे मुख्य रूप से ऊर्जा, पेट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, सड़कें, दूर संचार और सामाजिक आधारभूत ढाँचा आदि हैं। वर्ष 2002 के दौरान एशियाई विकास बैंक द्वारा 1163.60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया थाः

		(मिलियन अमरीकी डालर)
1.	राज्य ऊर्जा क्षेत्र सुधार परियोजना (पीएफसी)	150.00
2.	पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना	320.00
3.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	180.00
4.	केरल में राजकोषीय सुधार तथा सरकार का आधुनिकीकरण	200.00
5.	रेलवे क्षेत्र सुधार परियोजना	313.60
	जोड़	**1163.60**

XXII. रुसी परिसंघ

चालू वर्ष के दौरान रुसी परिसंघ की सरकार और भारत सरकार के बीच किसी नए विकासात्मक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। तथापि, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 271.28 करोड़ रुपए और 338.71 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

XXIII. यूरोपीय समुदाय (ईसी)

यूरोपीय समुदाय 1976 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ई सी की सहायता पूर्णतः अनुदानों के रूप में है और इसका प्रयोग रुपए तथा अभिज्ञात परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा लागत को वित्तपोषित करने के लिए किया जा सकता है। विकास सहयोग के क्षेत्र में, 1976 से ईसी के वित्तीय और तकनीकी सहायता का संचयी योग लगभग 1.60 बिलियन ईसीयू है।

2. यूरोपीय समुदाय के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण। इस समय सिंचाई, वानिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ईसी सहायता प्रदान की जा रही है। शिक्षा क्षेत्र (जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना) और स्वास्थ्य क्षेत्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत क्रमशः 150 मिलियन यूरो और 200 मिलियन यूरो की ईसी सहायता वाली दो मुख्य परियोजनाएँ चालू हैं। ईसी ने शिक्षा क्षेत्र में "सर्व शिक्षा अभियान" शीर्षक वाले एक नए क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 200 मिलियन यूरो लगभग (900 करोड़ रुपए) की वचनबद्धता दी है।

3. मई 2002, को संपन्न हुई भारत-ईसी उप-आयोग की बैठक के दौरान ईसी इस बात पर सहमत हुई कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, असम, सिक्किम, राजस्थान तथा जम्मु व कश्मीर जैसे सात राज्यों में से किसी एक या दो राज्य को राज्य भागीदारी कार्यक्रम के लिए चुना जाएगा। राज्यों की पहचान करने के लिए कार्यक्रम-सह-पहचान मिशन ईसी द्वारा भेज दिया जाएगा।

XXIV. जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.)

वर्ष 2002-2003 के दौरान 5.11 करोड़ रुपए की वस्तु/नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है।

XXV. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

यू एन डी पी के देश सहयोग ढाँचा 1 (सी सी एफ-I) (1997-02) जो भारत की IX पंचवर्षीय योजना के समान है, के तहत रोजगार और संशोधित जीविका, आधार सेवाओं को बढ़ावा देना, तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण को प्रमुखता देने संबंधी क्षेत्रों में 16 पारस्परिक उत्प्रेरक कार्यक्रम निहित थे।

2. वर्ष 2002-2003 के दौरान लगभग 81.12 करोड़ रुपए नकदी अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है। इसी प्रकार वर्ष 2003-2004 के दौरान लगभग 65.16 करोड़ रुपए मूल्य की सहायता प्राप्त होने की आशा है।

XXVI. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ)

वर्ष 2003-07 की अवधि के लिए नयी प्रचालन मास्टर योजना पर दिनांक 13.1.2003 को भारत सरकार और यूनीसेफ के बीच हस्ताक्षर किए गए और यूनीसेफ द्वारा 400 मिलियन डालर की राशि का आवंटन किया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान 4.50 करोड़ रु. प्राप्त होने की आशा है।

XXVII. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ)

वर्ष 2002-2003 के दौरान 19.80 करोड़ रुपए तक की वस्तु सहायता प्राप्त होना अनुमानित है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2003-2004 के दौरान 15.80 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की आशा है।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	प्राप्तियां			वापसी-अदायगियां		
	बजट अनुमान 2002-2003	संशोधित अनुमान 2002-2003	बजट अनुमान 2003-2004	बजट अनुमान 2002-2003	संशोधित अनुमान 2002-2003	बजट अनुमान 2003-2004
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	2369.26	2314.12	2865.50	2956.83	11212.20	2361.28
आई. डी. ए.	4525.95	4820.67	4645.27	2218.99	2216.47	2522.12
आई. एफ. ए. डी.	69.02	106.20	63.36	28.32	28.02	32.65
ए. डी. बी.	1626.88	1571.02	1787.86	717.10	7166.48	431.72
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	5.19	5.36	5.81
ओ. पी. ई. सी.	9.58	18.90	16.00	19.61	19.67	19.99
कुल (बहुपक्षीय)	**8600.69**	**8830.91**	**9377.99**	**5946.04**	**20648.20**	**5373.57**
द्विपक्षीय						
आस्ट्रेलिया	...	...	...	7.90	7.87	7.99
आस्ट्रिया	...	...	...	10.57	11.19	11.42
बेल्जियम	...	...	...	22.05	23.36	23.83
कनाडा	...	...	...	61.10	60.56	62.39
चेक और स्लोवाकिया	...	...	...	4.36	4.28	4.28
डेनमार्क	...	...	...	27.96	28.10	30.09
जर्मनी	173.60	48.00	41.50	493.82	518.71	469.16
फ्रांस	13.65	41.25	18.20	733.18	736.95	196.72
इटली	...	...	...	87.36	89.43	89.87
जापान	2339.00	2521.27	3426.00	1800.65	1702.20	1881.03
कुवैत निधि	...	...	...	48.79	48.12	134.95
नीदरलैंड	...	...	...	201.45	211.08	211.16
सउदी निधि	19.58	...	...	7.47	7.37	34.30
स्वीडन	...	...	...	173.18	181.55	184.60
स्विटजरलैंड	...	0.50	...	16.76	17.99	37.37
स्पेन	...	...	...	19.55	19.45	19.78
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	659.76	656.09	608.55
रूसी संघ	187.30	271.28	338.71	241.51	237.00	239.72
कुल (द्विपक्षीय)	**2733.13**	**2882.30**	**3824.41**	**4617.42**	**4561.30**	**4247.21**
कुल जोड़	***11333.82***	***11713.21***	***13202.40***	***10563.46***	***25209.50***	***9620.78***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2002-2003	संशोधित अनुमान 2002-2003	बजट अनुमान 2003-2004
बहुपक्षीय			
आई. एफ. ए. डी.	39.02	...	...
आई. डी एफ अनुदान	...	12.22	...
आई बी आर डी अनुदान (यूएसडी)	...	1.18	...
आई डी ए अमरीकी डालर	...	8.17	0.58
द्विपक्षीय			
आस्ट्रेलिया	...	...	4.00
कनाडा	...	1.60	0.35
डेनमार्क	61.33	42.49	33.50
फ्रांस	0.55	...	1.00
जर्मनी	216.43	127.37	158.50
जापान	35.01	39.38	150.00
नीदरलैंड	103.37	118.08	111.17
नार्वे	9.02	5.72	9.03
स्विटजरलैंड	...	1.78	21.43
यूनाइटेड किंगडम	50.72	284.48	612.00
यू.के. (डीएफआईडी)	...	15.74	9.00
संयुक्त राज्य अमरीका	10.26	57.01	74.36
ई. ई. सी.	253.36	155.62	150.00
एफ.ए.ओ.	...	0.10	...
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय			
यू. एन. एफ. पी. ए.	0.10	5.21	...
यू. एन. डी. पी.	64.12	90.43	84.12
यूनीसेफ	...	4.50	...
यूएनजीडीएफ	...	...	11.00
यूएनजीएफएटीएम	...	...	9.00
यूएनयूएस सहायता	...	...	6.19
विश्व स्वास्थ्य संगठन	15.80	9.90	15.80
वैश्विक डाक संघ	...	0.77	...
कुल जोड़	***859.09***	***981.75***	***1461.03***